

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, डण्डाली

प्रकरण सं.:-18/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1158

दिनांक:- 22-5-18


### आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी डण्डाली व मू.अ.नि. मूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम ऐवाडी मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 47 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ऐवाजी मानजी	47	74,75, 150/87	प्रताप पुत्र लिखमा	प्रताप उर्फ पताराम पुत्र लिखमाराम <u>शेष बदुस्तर</u>




क्रमांक:-लो.अदा./2018/1159-1161

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 22-5-18

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री प्रताप उर्फ पताराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ऐवाडी मानजी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी